

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(200-ए)/सी.भ./वरि.कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 13-03-2023 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों में से नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस सम्भाग को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसरण में दिनांक 17-03-2023 को आयोजित परामर्श कैंम्प में उनके द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत विकल्प पत्र में चयनित उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रु. प्रतिमाह / विद्यमान (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जाएंगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-आ/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04-10-2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
7. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.17 19:49:18 IST
Reason: Approved



8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाएँ।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11-04-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(योगेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग जयपुर

क्रमांक : संनि/स्कूशि/जय/संस्था-2/फा-नि0वरि0कम्प्यू.अनु.-2022/2022-23/03 दिनांक : 17-03-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
3. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.17 19:49:18 IST
Reason: Approved



4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जयपुर/अलवर/दौसा
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) जयपुर/अलवर/दौसा को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले से संबंधित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर संबंधित संस्था प्रधानों को उपलब्ध करावें।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
12. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
15. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग जयपुर


Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.03.17 19:49:18 IST
Reason: Approved



कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर
वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश

क्रमांक : संनि / स्कूशि / जय / संस्था-2 / फा-नि0वरि0कम्प्यूअनु-2022 / 2022-23 / 03 दिनांक : 17-03-2023

क्र.सं.	भैरिट संख्या	नाम अभ्यर्था सर्वश्री / श्रीमती	छाया चित्र	पिता का नाम सर्वश्री	स्थाई पता	जन्म दिनांक	H. Cat.	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	वि.दि.
1	544	ANIL KUMAR		MAHAVEER PRASAD	WARD NO. 03, CHHAU, UDAIPURWATI, DISTT JHUNJHUNU 333305	01-07-1998	SC	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALLAWAS (218161), RAMGARH PACHWARA, DAUSA	12

(योगेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2023.03.17 09:50:00 IST
Reason: Approved

